

कंपनी अंकेक्षक प्रतिवेदन आदेश-2003
(Company Auditor Report Order-2003)

धारा 227 उपधारा-4 A (Sec. 227 Sub. Sec.-4A) :-

केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कंपनी अंकेक्षकों को इस बात के लिए बाध्य करें कि उन्हें अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ किन्हीं अन्य मामलों पर भी अपनी राय व्यक्त करनी है । इस उपधारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा MAOCARO-1988 जारी किया गया इस आदेश को CARO-2003 द्वारा समाप्त कर दिया गया अर्थात् CARO-2003 1-जनवरी-2004 से लागू कर दिया गया । यह आदेश कुछ निर्दिष्ट कंपनियों के संबंध में ही जारी किया गया । जिनके संबंध में ICAI द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई । CARO-2003 के अंतर्गत अंकेक्षक का 21 मामलों के संबंध में अपनी राय प्रेक्षित करनी होती है । ये सभी मामले ऐसी प्रकृति के हैं जो कंपनी के प्रबंध से संबंधित हैं अर्थात् कंपनी के प्रबंध ने क्या उन सभी मामलों पर अपनी जाँच की थी और उन जाँचों का क्या परिणाम प्राप्त हुआ था । CARO-2003 सभी प्रकार की कंपनियों पर लागू होता है । इनमें विदेशी कंपनियाँ व कंपनियों की शाखाएँ भी शामिल हैं । CARO-2003 निम्न कंपनियों पर लागू नहीं होता है :-

- (1) बैंकिंग कंपनी
- (2) बीमा कंपनी
- (3) कंपनी अधिनियम की धारा 25 में पंजीकृत अलाभकारी कंपनी
- (4) निजी कंपनी :- निजी कंपनी के संदर्भ में CARO-2003 तभी लागू हुआ नहीं माना जाएगा जब निम्न तीनों शर्तें एक साथ पूर्ण हो जाएगी :-
 - (i) यदि कंपनी की प्रदत्त पूँजी व समता 50 लाख से अधिक नहीं है ।
 - (ii) कंपनी में किसी भी प्रकार का ऋण 25 लाख या उससे अधिक नहीं है ।
 - (iii) कंपनी की कुल आवर्त 5 करोड़ से अधिक नहीं है ।

कंपनी अधिनियम की धारा 227 (4A) के अनुसार अंकेक्षक को अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ कुछ अन्य मामलों पर भी अपनी टिप्पणी व राय देनी होती है । यह राय दोनों ही परिस्थितियों में शामिल की जाएगी अर्थात् राय चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक । CARO-2003 कुछ कंपनियों पर लागू नहीं किया गया है । CARO के अंतर्गत निम्न मामले हैं जिन पर कंपनी अंकेक्षक को अपनी टिप्पणी या राय देनी होती है ।

(i) स्थायी संपत्तियाँ (Fixed Assets):-

- (a) क्या कंपनी द्वारा स्थायी संपत्तियों से संबंधित रजिस्टर बनाये गये हैं जिनमें इन स्थायी संपत्तियों का पूर्ण विवरण शामिल है , जिसमें से उन संपत्तियों की मात्रा व उनकी स्थिति को दर्शाया गया है ?
- (b) क्या इन स्थायी संपत्तियों का उचित अंतरालों में कंपनी के प्रबंध द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है ? क्या सत्यापन के दौरान कोई सारवान विषमता पाई गई है ? यदि हाँ तो क्या उन विषमताओं को कंपनी के खातों में सही प्रकार से समायोजित कर दिया गया है ?
- (c) क्या किन्हीं स्थायी संपत्तियों का वर्ष के दौरान विक्रय किया गया है जो सारवान राशि की थी और इस विक्रय से कंपनी की सतत् संस्थान मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है ?

(ii) स्कंध (Stock) :-

- (a) क्या कंपनी के प्रबंध द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन उचित अंतरालों में किया जाता है ?
- (b) कंपनी द्वारा किया गया स्टॉक का भौतिक सत्यापन क्या सही प्रक्रिया के आधार पर किया गया है जो कंपनी की प्रकृति व आकार के आधार पर आधारित था । यदि सही प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं ली गई है तो उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं ?
- (c) क्या कंपनी के प्रबंध द्वारा स्टॉक के संबंध में सही प्रकार से लेखा पुस्तकें रखी जा रही हैं और कंपनी के प्रबंध द्वारा जब स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया था ? क्या उस सत्यापन में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई थी और उस अनियमितता को कंपनी के प्रबंध द्वारा सही प्रकार से खातों में समायोजित कर दिया गया था ।

(iii) ऋण एवं अग्रिम (Loan & Advances) :-

- (a) क्या कंपनी ने ऐसे पक्षकारों को ऋण या अग्रिम (आरक्षित या अनारक्षित) लिये या दिये हैं जो कंपनी अधिनियम की धारा 301 से संबंधित हैं और क्या कंपनी द्वारा उनके संबंध में रजिस्टर रखा गया है ? यदि हाँ तो अंकेक्षक को ऐसे पक्षकारों की संख्या और उनसे किए गए व्यवहार से संबंधित राशि का उल्लेख करना पड़ेगा ।
- (b) क्या ऐसे ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज की दर व अन्य शर्तें कंपनी के हितों में हैं ?
- (c) क्या मूल राशि व ब्याज की राशि का भुगतान भी नियमित है ?
- (d) यदि ऐसे ऋणों व अग्रिमों की बकाया राशि 1 लाख रूपयों से अधिक है तो कंपनी द्वारा मूलधन व ब्याज की वसूली/भुगतान के लिए उचित कदम उठाये गये हैं ?

(iv) आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता (Internal Control System Adequacy) :-

क्या कंपनी के आकार व प्रकृति के आधार पर कंपनी में निम्न के संबंध में सही प्रकार का आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित है :-

- स्टॉक को क्रय करने के संबंध में
- स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के संबंध में
- माल को विक्रय करने के संबंध में

क्या इस आंतरिक नियंत्रण तंत्र में ऐसी खामियाँ हैं जिन्हें कंपनी के प्रबंध द्वारा दूर नहीं किया जा रहा है ।

(v) धारा 301 के पक्षकारों के साथ लेन-देन (Transactions with parties of Section 301) :-

(a) क्या कंपनी द्वारा ऐसे पक्षकारों से व्यवहार किया जा रहा है जिन्हें धारा 301 में शामिल किया जाता है । यदि हाँ तो अंकेक्षक को यह जाँचना चाहिए कि क्या इस संबंध में किये गये अनुबंधों को वैधानिक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है ।

(b) ऐसे पक्षकारों से किया गया व्यवहार उचित बाजार मूल्य पर किया जा रहा है ? यदि नहीं तो अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में उल्लेख करना होगा । यह जानकारी उस स्थिति में नहीं देनी होगी यदि ऐसे व्यवहारों की राशि एक वित्तीय वर्ष में या किसी एक पक्षकार से 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है ।

(vi) निक्षेप (Public Deposits) :-

क्या कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष में कंपनी अधिनियम की धारा 58B के अंतर्गत जनता से निक्षेप प्राप्त किये गये हैं यदि हाँ तो क्या कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 58A, 58AA

के प्रावधानों का तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है। साथ ही यदि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा यदि इस संबंध में कोई आदेश जारी किया गया है तो क्या उस आदेश की भी पालना की गई है यदि नहीं तो जिन प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तो उनका उल्लेख करना पड़ेगा।

(vii) आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था (Internal Audit System) :-

यदि कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है और किसी अन्य कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी व मुक्त संचय 50 लाख से अधिक है या किसी कंपनी की संबंधित वित्तीय वर्ष से आगे के 3 वित्तीय वर्षों का औसत आवर्त 5 करोड़ रु से अधिक है तो क्या कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था लागू है जो उस कंपनी के आकार व प्रकृति के अनुरूप है।

(viii) लागत लेखे (Cost Record) :-

यदि केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी कंपनी को यह आदेश दिया गया है कि उस कंपनी में धारा 209(1)(d) के अनुसार लागत लेखे रखने हैं तो क्या संबंधित कंपनी द्वारा ऐसी लेखा पुस्तकें रखी जा रही हैं।

(ix) वैधानिक दायित्वों का भुगतान (Depositing of Statutory Dues) :-

(a) क्या कंपनी द्वारा ऐसे वैधानिक दायित्वों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है जिनके संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। इन वैधानिक दायित्वों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर आदि शामिल किये जाते हैं। यदि कंपनी द्वारा इन अविवादित दायित्वों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया तो अंकेक्षक को वर्ष के अंत में ऐसी बकाया राशि का उल्लेख करना होगा जो 6 माह से अधिक होगी।

(b) यदि कंपनी द्वारा ऐसे वैधानिक दायित्वों का भुगतान किन्हीं विवादों के कारण नहीं किया गया तो अंकेक्षक को उस दायित्व की राशि और संबंधित सत्ता का वर्णन देना होगा।

(x) एकत्रित हानि (Accumulated Loss) :-

एक कंपनी जिसका पंजीकरण हुए कम से कम 5 वर्ष हो गये, उसके संबंध में अंकेक्षक को यह उल्लेख करना होगा कि संबंधित कंपनी की कुल एकत्रित हानियाँ कितनी हैं ? और क्या उन एकत्रित हानियों की मात्रा कंपनी की Net Worth की 50 प्रतिशत राशि से अधिक हो गई है। अंकेक्षक को इसका भी उल्लेख करना होगा कि क्या कंपनी में पूर्व वर्ष में किसी प्रकार की रोकड़ हानि हुई है ? यदि हाँ तो उस रोकड़ हानि का ब्यौरा भी उल्लेखित करना होगा।

(xi) ऋण के पुनः भुगतान में चूक (Default in Repayment of Dues) :-

क्या कंपनी ने किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या ऋणपत्रधारियों को देय राशियों के पुनः भुगतान में कोई चूक की है ? यदि हाँ तो ऐसी चूक की राशि और अवधि का ब्यौरा देना होगा।

(xii) ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर दिया गया ऋण (Loan given against Pledge of securities) :-

यदि कंपनी ने अंशों, ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में गिरवी रखकर ऋण एवं अग्रिम दिए हैं तो क्या कंपनी ने उन ऋणों व अग्रिमों के संबंध में उचित प्रपत्र एवं रिकॉर्ड रखे हैं। यदि नहीं तो इस संबंध में कमियों का उल्लेख करना होगा।

(xiii) लागू चिट फण्ड अधिनियम के प्रावधानों की पालना (Comply provision of applicable Chit Fund Act) :-

क्या कंपनी पर चिट फण्ड अधिनियम के विशेष प्रावधान लागू होते हैं ? यदि हाँ तो उस संबंध में अंकेक्षक को निम्न मामलों के संबंध में जानकारी देनी होगी :-

(a) चिट्ठे की तिथि को क्या कंपनी का Net Owned Funds व Deposit Liability का अनुपात 1:20 से अधिक है ,

(b) क्या कंपनी ने उन सभी नियमों व प्रावधानों का पालन किया है जो Income Recognition & Provisioning के आधार पर कंपनी के ऋण व अग्रिम को दर्शाते हैं? इनके आधार पर कंपनी के ऋण एवं अग्रिम क्या Standard/Substandard/Default/Loss Assets के रूप में दर्शाये गये हैं ।

(c) क्या कंपनी में ऋण व अग्रिम देने से पूर्व ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके आधार पर उन व्यक्तियों की साख व पुनः भुगतान क्षमता का आंकलन किया जाता है ?

(d) क्या कंपनी द्वारा व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिम उनकी पुनः भुगतान क्षमता के आधार पर दिया गया है ? एवं ऋण की राशि तक वसूली योग्य होगा ।

(xiv) अंश व अन्य प्रतिभूतियों में लेनदेन करने वाली कंपनी (Company dealing in Shares and Securities) :-

यदि कंपनी अंश, प्रतिभूतियों एवं ऋणपत्रों की खरीद व बिक्री में संलग्न है तो कंपनी द्वारा सभी लेनदेनों के संबंध में उचित प्रकार से खातों में प्रविष्टियाँ की जा रही है या नहीं और यह सभी समय पर की जा रही है या नहीं । इसका भी उल्लेख करना होगा कि कंपनी द्वारा किये गये निक्षेप क्या कंपनी के स्वयं के नाम से है या कंपनी अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत उल्लेखित नामों से हैं ।

(xv) ऋणों के लिए जमानत देना (Guarantee for Loans) :-

क्या कंपनी ने किन्हीं व्यक्तियों, फर्मों को ऋण व अग्रिम लेने पर किसी बैंक व वित्तीय संस्थान को जमानत दी है तो क्या उस जमानत की शर्तें कंपनी के हितों में है ।

(xvi) सावधिक ऋणों का इस्तेमाल (Application of Term Loans) :-

यदि कंपनी ने सावधिक ऋण प्राप्त किया है तो उस सावधिक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए वह ऋण प्राप्त किया गया था ।

(xvii) लघु अवधि कोषों को दीर्घ अवधि उद्देश्यों में काम लेना या इसका विपरित

(Application of Short Term funds for Long Term Purpose and vice versa) :-

क्या कंपनी ने लघु अवधि आधार पर प्राप्त कोषों का उपयोग दीर्घावधि निवेशों में किया है या इसका उल्टा ? यदि हाँ तो इस संबंध में राशि व प्रकृति का उल्लेख करना होगा ।

(xviii) धारा 301 के पक्षकारों को पूर्वाधिकार आवंटन (Preferential Allotment to the parties of Section 301) :-

क्या कंपनी ने किसी ऐसे पक्षकारों को अंशों का पूर्वाधिकार आवंटन किया है जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 301 में शामिल किया जाता है ? यदि हाँ तो क्या उन व्यक्तियों से प्राप्त की गई राशि कंपनी के हितों में हैं ?

(xix) ऋणपत्रों के संबंध में प्रभार (Securities and Charge created on Debentures issued) :-

क्या कंपनी ने जारी ऋणपत्रों के संबंध में किसी प्रकार का प्रभार का पंजीकरण कंपनी रजिस्ट्रार में कराया है ? यदि हाँ तो प्रभार की प्रकृति, प्रभारित संपत्ति का विवरण व नियम एवं शर्तों का उल्लेख करना होगा।

(xx) आम जनता से प्राप्त अभिदान राशि का अंतिम निपटान (End use of money raised by public issue) :-

क्या कंपनी के प्रबंध ने पूर्व वर्ष के दौरान आम जनता से कोई अभिदान राशि प्राप्त की है और कंपनी द्वारा जारी प्रविवरण में इस राशि के अंतिम निपटान से संबंधित उल्लेख है और अंकेक्षक ने उस अंतिम निपटान की जाँच कर ली है।

(xxi) कंपनी द्वारा कपट या कंपनी पर (के साथ) कपट (Fraud by Company/Fraud on Company) :-

क्या कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कपट किया गया है ? यदि हाँ तो अंकेक्षक को कपट की प्रकृति तथा राशि का उल्लेख करना होगा।

महत्वपूर्ण बिंदू (Important Points) :-

- (1) अंकेक्षक को किसी भी परिस्थिति में **CARO** के संबंध में उल्लेख करना होगा अर्थात् उपरोक्त 21 मामलों में किसी भी मामले पर अंकेक्षक की टिप्पणी चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक उसे अपनी राय की अभिव्यक्ति करना आवश्यक है।
- (2) राय की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अंकेक्षक को यह भी उल्लेखित करना होगा कि किन कारणों से उसकी राय नकारात्मक उल्लेखित की गई है ?
- (3) यदि ये मामले अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षक को नकारात्मक टिप्पणी या मर्यादा का उल्लेख करने के लिए बाध्य करते हैं और ये मामले सारवान भी हैं तो अंकेक्षक को इन मामलों का उल्लेख **CARO** प्रतिवेदन के साथ-साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी करना होगा।
- (4) **CARO-2003** के सभी 21 मामलों पर अंकेक्षक को अंकेक्षित वर्ष में हुए लेनदेनों व कृत्यों के संबंध में ही अपनी टिप्पणी जारी करनी होगी।